



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271093
CG-DL-E-20032026-271093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1383]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1383]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1448(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023 (2023 का 21) की धारा 18 के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 19 मार्च, 2026 से, निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करती है, अर्थात्:-

(क) स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड;

(ख) दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और

(ग) आचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड।

2. स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य)		
(1)	डॉ. चंद्रशेखर जानकीराम, आचार्य और विभागाध्यक्ष, (लोक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा) अमृता विश्व विद्यापीठम, कोच्चि	अध्यक्ष;

(2)	डॉ. शैलेश माधव लेले, अकादमिक समन्वयक (स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान), अकादमिक विकास और गुणवत्ता आश्वासन विभाग, भारती विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र	पूर्णकालिक सदस्य;
धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अंशकालिक सदस्य)		
(3)	डॉ. नागराज एम., प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष (ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी), ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, दिल्ली	अंशकालिक सदस्य।

3. दंत चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य)		
(1)	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नंद किशोर साहू, आचार्य, सुभारती डेंटल कॉलेज, मेरठ	अध्यक्ष;
(2)	डॉ. हिमांशु एरन, पूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष, सीमा डेंटल कॉलेज और अस्पताल, ऋषिकेश, उत्तराखंड	पूर्णकालिक सदस्य;
धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अंशकालिक सदस्य)		
(3)	डॉ. परिमला त्यागी, आचार्य, हेड और डीन (पेडोडोंटिक्स और प्रिवेंटिव दंत चिकित्सा), पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	अंशकालिक सदस्य।

4. आचार और दंत चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य)		
(1)	लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तापस कुमार बंद्योपाध्याय, पूर्व प्रिंसिपल, कामिनेनी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नलगोंडा, तेलंगाना	पूर्णकालिक सदस्य;
धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन (अंशकालिक सदस्य)		
(2)	डॉ. स्वरगा ज्योति दास, प्रधानाध्यापक और विभागाध्यक्ष, कालका डेंटल कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश	अंशकालिक सदस्य;
धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन (पूर्णकालिक सदस्य)		
(3)	डॉ. उषा हेगड़े, आचार्य, ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जेएसएस डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मैसूर, कर्नाटक	पूर्णकालिक सदस्य।

5. पैरा 2 से 4 में उल्लिखित प्रत्येक स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 19 मार्च, 2026 से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक और अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक पद पर रहेंगे।

[फा. सं. वी.12025/14/2024-डीई- भाग-IV]

डॉ. विनोद कोतवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2026.

S.O. 1448(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 read with section 18 of the National Dental Commission Act, 2023 (21 of 2023), the Central Government hereby constitutes the following Autonomous Boards, with effect from the 19th day of March, 2026; namely: -

- (a) Under-Graduate and Post-Graduate Dental Education Board;
 (b) Dental Assessment and Rating Board; and
 (c) Ethics and Dental Registration Board.

2. The Under-Graduate and Post-Graduate Dental Education Board shall consist of the following persons, namely:-

Under sub-section (2) of section 17 (President and whole-time Member)		
(1)	Dr. Chandrashekhar Janakiram, Professor and Head of Department (Public Health Dentistry), Amrita Vishwa Vidyapeetham, Kochi	President;
(2)	Dr. Shailesh Madhav Lele, Academic Coordinator (Health Sciences Institutions), Department of Academic Development and Quality Assurance, Bharati Vidyapeeth, Pune, Maharashtra	Whole-time Member;
Under sub-section (2) of section 17 (Part-time Member)		
(3)	Dr. Nagaraj M., Professor and Head of Department (Oral and Maxillofacial Surgery), ESIC Dental College, Delhi	Part-time Member.

3. The Dental Assessment and Rating Board shall consist of the following persons, namely:-

Under sub-section (2) of section 17 (President and one whole-time Member)		
(1)	Lt. Gen. (Retd.) Nanda Kishore Sahoo, Professor, Subharti Dental College, Meerut	President;
(2)	Dr. Himanshu Aeran, former Professor and Head of Department, Seema Dental College and Hospital, Rishikesh, Uttarakhand	Whole-time Member;
Under sub-section (2) of section 17 (Part-time Member)		
(3)	Dr. Parimala Tyagi, Professor, Head and Dean (Pedodontics and Preventive Dentistry), People's University, Bhopal, Madhya Pradesh	Part-time Member.

4. The Ethics and Dental Registration Board shall consist of the following persons, namely:-

Under sub-section (2) of section 17 (President and one whole-time Member)		
(1)	Lt. Gen. (Retd.) Tapas Kumar Bandyopadhyay, former Principal, Kamineni Institute of Dental Sciences, Nalgonda, Telengana	Whole-time Member;
Under sub-section (2) of section 17 (Part-time Member)		

(2)	Dr. Swarga Jyoti Das, Principal and Head of Department, Kalka Dental College, Meerut, Uttar Pradesh	Part-time Member;
Under sub-section (4) of section 17 (Whole-time Member)		
(3)	Dr. Usha Hegde, Professor, Department of Oral Pathology & Microbiology, JSS Dental College and Hospital, Mysore, Karnataka	Whole-time Member.

5. The President and whole-time members of each Autonomous Boards mentioned in paragraphs 2 to 4, shall hold office for a term of four years or till attaining the age of seventy years and the part-time Members thereof shall hold office for a term of two years or till attaining the age of seventy years, respectively, with effect from 19th day of March, 2026.

[F.No. V.12025/14/2024-DE-Part-IV]

Dr. VINOD KOTWAL, Addl. Secy.